



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272361
CG-DL-E-08052026-272361

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2233]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2324(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा हितकर है तथा केंद्र सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, एयर कंडीशनर तथा इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एयर कंडीशनर और इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 होगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर तथा इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 के पैरा 2 में, आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किए जाएंगे, नामतः—

“बशर्ते यह भी कि यह आदेश, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर, एयर कंडीशनिंग एवं प्रशीतन उपकरण तथा इससे संबंधित भागों के किसी विनिर्माता द्वारा अपने विनिर्माण प्रयोजनों के लिए आयात किए जाने की स्थिति में, एयर कंडीशनर और इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 के प्रकाशन की तिथि से लेकर 31 मार्च, 2027 तक, उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा तक लागू नहीं होगा, अर्थात्:—”

तालिका

माल या वस्तुएं	वित्त वर्ष 2026-27
(1)	(2)
रेफ्रिजरेटर तथा समान प्रशीतन उपकरणों में उपयोग हेतु, दो टन प्रशीतन क्षमता से कम निर्धारित क्षमता वाले स्थिर गति तथा परिवर्तनीय गति (इन्वर्टर) के प्रत्यावर्ती हर्मेटिक कंप्रेसर।	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयातित माल या वस्तुओं की कुल मात्रा के 40 प्रतिशत तक।
एयर कंडीशनरों तथा हीट पंप एप्लीकेशनों में उपयोग हेतु, दो टन प्रशीतन क्षमता से कम निर्धारित क्षमता वाले स्थिर गति तथा परिवर्तनीय गति (इन्वर्टर) के रोटरी हर्मेटिक कंप्रेसर।	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयातित माल या वस्तुओं की कुल मात्रा के 30 प्रतिशत तक।
प्रशीतन, वातानुकूलन तथा हीट पंप एप्लीकेशनों में उपयोग हेतु, दो टन प्रशीतन क्षमता एवं उससे अधिक निर्धारित क्षमता वाले स्थिर गति तथा परिवर्तनीय गति (इन्वर्टर) के स्क्रॉल एवं रोटरी हर्मेटिक कंप्रेसर।	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयातित माल या वस्तुओं की कुल मात्रा के 90 प्रतिशत तक।
परिवर्तनीय रेफ्रिजेंट प्रवाह वातानुकूलन प्रणाली हेतु, दो टन प्रशीतन क्षमता एवं उससे अधिक निर्धारित क्षमता वाले रोटरी हर्मेटिक कंप्रेसर।	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयातित माल या वस्तुओं की कुल मात्रा के 100 प्रतिशत तक।

नोट:— विनिर्माता, तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं का मासिक रिकार्ड तैयार करेगा तथा उसे अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्रशीर्ष पर संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा और साथ ही उक्त माल या वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए एक आयोजना भी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. पी - 29014/63/2017- एलईआई]

सुमित कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

नोट:— मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 05 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 4354 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नानुसार संशोधन किया गया:—

- (1) दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.आ. 1518(अ);
- (2) दिनांक 22 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.आ. 4671(अ);
- (3) दिनांक 8 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.आ. 5095(अ);
- (4) दिनांक 21 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.आ. 5972(अ);
- (5) दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.आ. 32(अ);
- (6) दिनांक 11 फरवरी, 2025 की अधिसूचना सं. सा.आ. 695(अ); तथा
- (7) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना सं. सा.आ. 1815(अ)।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2324(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:—

1. (1) This Order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in paragraph 2, after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that this Order shall not apply to Goods or articles specified in column (1) of the TABLE below, imported by a manufacturer of air conditioning and refrigeration equipment and related parts for the purposes of its own manufacturing, up to 31st March, 2027, to the volume specified in column (2) of the said TABLE, from the date of publication of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2026, namely:—

TABLE

Goods or articles (1)	Financial Year 2026-27 (2)
Reciprocating hermetic compressors of fixed speed and variable speed (inverter), of rated capacity less than two tons of refrigeration, intended for use in refrigerators and similar refrigeration appliances.	Up to 40 per cent. of the total quantity of goods or articles imported during the financial year 2024–25.
Rotary hermetic compressors of fixed speed and variable speed (inverter), of rated capacity less than two tons of refrigeration, intended for use in air conditioners and heat pump applications.	Up to 30 per cent. of the total quantity of goods or articles imported during the financial year 2024–25.
Scroll and rotary hermetic compressors of fixed speed and variable speed (inverter) having a rated capacity of two tons of refrigeration and above, intended for use in refrigeration, air-conditioning, and heat pump applications.	Up to 90 per cent. of the total quantity of goods or articles imported during the financial year 2024–25.
Rotary hermetic compressor of rated capacity two tons of refrigeration and above for variable refrigerant flow air conditioning system.	Up to 100 per cent. of the total quantity of goods or articles imported during the financial year 2024–25.

Note: - The manufacturer shall maintain monthly record of Goods or articles specified in column (1) of the TABLE and furnish the same to the authorities concerned in their letter head signed by its authorised signatory and shall also submit a plan for indigenisation of Goods or articles to the Central Government.

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.

Note: – The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4354 (E), dated the 5th December, 2019 and subsequently amended as follows: –

- (1) S.O. 1518 (E), dated the 18th May, 2020;
- (2) S.O. 4671 (E), dated the 22nd December, 2020;
- (3) S.O. 5095 (E), dated the 8th December, 2021;
- (4) S.O. 5972 (E), dated the 21st December, 2022;
- (5) S.O. 32 (E), dated the 29th December, 2023;
- (6) S.O. 695 (E), dated the 11th February, 2025; and
- (7) S.O. 1815 (E), dated the 17th April, 2025.